न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 85/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. शंशाक पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति महाजन निवासी विनायक नगर मदनगंज मृतक जरिये विधिक वारिसान :–
   1/1 सुरेन्द्र सिंह महणोत पुत्र सज्जन सिंह महणोत
   1/2 श्रीमति उषा पत्नि सुरेन्द्र सिंह महणोत
   समस्त जाति जैन ओसवाल निवासी 66–67 विनायक नगर मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
2. ज्ञानचन्द पुत्र सज्जन सिंह महणोत ओसवाली मोहल्ला मदनगंज
3. चन्द्रप्रकाश सोनी एण्ड सन्स एच यु एफ कर्ता चन्द्रप्रकाश, सोनी पुत्र स्व0 कैलाश सोनी नि0 कोटा तहसील व जिला कोटा 5 सी शोरूम के पिछे रावत भाटा रोड़ गुमानपुरा के पास वार्ड 22 लाडपुरा जिला कोटा
4. अनिल कुमार जैन पुत्र गणेशमल जैन नि0 पाण्डयोका मौहल्ला धान मण्डी पुराना शहर किशनगढ
5. प्रकाश पुत्र शंकर लाल छाजेड नि0 पाण्डयोका मौहल्ला धान मण्डी पुराना शहर किशनगढ
6. राजेश पुत्र बाबूलाल सोनी धान मण्डी पुराना शहर किशनगढ

.....अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित :–

श्री कृष्ण गोपाल खत्री — अभिभाषक अप्रार्थी 1 से 6
श्री ओम प्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक –27.05.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि हाल ग्राम किशनगढ के आराजी खसरा नम्बर 1784 रकबा 0–2–00 व 1785 रकबा 8–19–00 बीघा किस्म चाही 1 4–14.00 बंजर 1 2.00.08 चाही ए 1–17, जो वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगणो की खातेदारी में अंकित है। मौके पर भूमि जल थमन तालाब भराव क्षेत्र में स्थित होने से डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.08.04 की पालना में खातेदारी निरस्त कर राज्य सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत है। अतः अप्रार्थीगणो के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1784 रकबा 0–02–00 व 1785 रकबा 8–19–00 में अप्रार्थीगणो द्वारा तालाब के भराव क्षेत्र में मिट्टी भरने से भराव क्षेत्र प्रभावित होने से पत्र क्रमांक/राजस्व/06/8815–21 दिनांक 28.08.2006 जारी निर्देश की पालना में काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88/2 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में खातेदारी निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 06 की ओर से श्री कृष्ण गोपाल खत्री अभिभाषक उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्षकार को सुना गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

पेरोकार सरकार ने सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकट किया कि हाल ग्राम किशनगढ के आराजी खसरा नम्बर 1784 रकबा 0–2–00 व 1785 रकबा 8–19–00 बीघा किस्म चाही 1 4–14.00 बंजर 1 2.00.08 चाही ए 1–17, जो वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगणो की खातेदारी में अंकित है। मौके पर भूमि जल थमन तालाब भराव क्षेत्र में स्थित होने से डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.08.04 की पालना में खातेदारी निरस्त कर राज्य सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत है। भू.प्रबधक विभाग खतोनी बन्दोबस्त संवत 2010–19 में खाता संख्या 90 में मु. पदम कंवर बैवा श्याम सिंह महाजन व खाता संख्या 290 रामचन्द्र वल्द देव बक्ष व रामा वल्द मुकना कौम माली सा. देह वापीदार मु. अनोप बाई बैवा उगमचन्द कौम महाजन मुर्तहीन दर्ज है।

वर्तमान खसरा नं.	रकबा	एकीकरण खसरा नं.	रकबा	सेटलमेन्ट खसरा नं.	रकबा	किस्म भूमि
1784	0–02–00	1263	0–02–00	3235	0–02–00	गैमु.चाही
1785	8–19–00	1264	8–19–00	3207	0–01–00	बंजर अव्वल
				3225 3226 3227	01–12–00	बंजर दोयम
				3228	00–12–00	बंजर दोयम
				3229	00–18–00	चाही अव्वल 0.17 बंजर अव्वल 0.01
				3230	01–19–00	चाही अलिफ 1.17 बंजर अव्वल 0.02
				3231	00–17–00	चाही अव्वल 0.16 बंजर अव्वल 0.01
				3232	00–17–00	चाही अलिफ 0.15 बंजर अव्वल 0.02
				3233	00–10–00	चाही अव्वल
				3234	01–03–00	चाही अव्वल
				3236	00–10–00	चाही अव्वल
योग					9–01–00	

जमाबंदी व 2019 के खाता संख्या 36 में खसरा नम्बर 1263 रकबा 0–02–00 किस्म चाही गै.मु. 1264 व 1785 रकबा 8–19–00 अलिफ 1–17–00 चाही अव्वल 4–11–00 बंजर अव्वल 0–07–00 बंजर दोयम 2–04–00 कन्हैयालाल व भैरूलाल पि. रामवल्लभ कौम महाजरल सा. देह हि.ब खातेदार दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 38 में

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

खसरा नम्बर 1784 रकबा 0–02–00 गै.मु.चा. व 1785 रकबा 8–19–00 चाही ए 1–17–00 चा.अ. 4–11 बंजर अव्वल 07–00 कन्हैयालाल भैरूलाल पि. रामवल्लभ कौम महान सा. देह हि.ब. खातेदार दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी 2067–70 खाता संख्या 108 के अनुसार खसरा नम्बर 1784 रकबा 0–02–00 बीघा व 1785 रकबा 8–19–00 किस्म चाही 1, 4–14–00 बंजर 1 2–08 चाही ए 01–17–00 गोपीकिशन वल्द कन्हैयालाल कौम अग्रवाल सा. देह खातेदार दर्ज है। नामा0 संख्या 1324 दिनांक 23.8.2013 विक्रय अनुसार खसरा नम्बर 1784 रकबा 0–02–00 व बीघा व 1785 रकबा 8–19–00 किस्म चाही1 4.14.00 बंजर 1 2.08 चाही ए 01–17–00 शशांक पुत्र सुरेन्द्र सिंह महणोत नि विनायक नगर मदनगंज हि 2/65, ज्ञानचन्द पुत्र सज्जन सिंह महणोत ओसवाली मोहल्ला मदनगंज हि. 1/18, चन्दप्रकाश, सोनी एण्ड सन्स एच यु एफ कर्ता चन्द्रप्रकाश सोनी पुत्र स्व0 कैलाश सोनी नि. कोटा तहसील व जिला कोटा हि 2/35, अनिल कुमार जैन पुत्र गणेशमल जैन नि0 पाण्डयोका मौहल्ला धान मण्डी पुराना शहर किशनगढ हि. 1/9, प्रकाश पुत्र शंकर लाल छाजेड नि0 पाण्डयो का मौहल्ला धान मण्डी पुराना शहर किशनगढ हि 1/5, राजेश पुत्र बाबूलाल सोनी धान मण्डी पुराना शहर किशनगढ हि. 1/18 नाम खातेदारी में दर्ज हुआ है। मौका रिपोर्ट पटवारी व भू.अ. नि. किशनगढ के अनुसार उक्त खसरा भूमि खसरा नम्बर 1785 रकबा 0–02–00 व 1785 रकबा 8–19–00 जल थमन तालाब किशनगढ के भराव क्षेत्र में स्थित है, खातेदार द्वारा भराव क्षेत्र में उक्त आराजी में मिटी डाल कर भराई कर रहे है जिससे शहर के महत्वपूर्ण तालाब का भराव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। अतः अप्रार्थीगणो के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1784 रकबा 0–02–00 व 1785 रकबा 8–19–00 में अप्रार्थीगणो द्वारा तालाब के भराव क्षेत्र में मिट्टी भरने से भराव क्षेत्र प्रभावित होने से श्रीमान् के पत्र क्रमांक/राजस्व/06/8815–21 दिनांक 28.08.2006 जारी निर्देश की पालना में काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88/2 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में खातेदारी निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अप्रार्थी अभिभाषक संख्या 1 से 6 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स प्रकरण में कही भी उल्लेखित नहीं किया कि ग्राम किशनगढ़ के वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 1784 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 1785 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि का अलाटमेंट या खातेदारी, नियमन कब, कैसे, किस भूमि पर हुआ है। कैसे विधि विरूद्ध अलॉटमेन्ट, नामान्तकरण, खातेदारी अंकन हुई उसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी स्वयं अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व खातेदार से खरीद की है उसका उक्त भूमि पर 2010 से 2019 खतौनी बन्दोबस्त बापीदार है। अर्थात विगत 60–65 वर्षो से लगातार काबिज खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर जिले में लागू होने से पूर्व ही अप्रार्थीगण को बेचान किये गये खातेदारो का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा एवं राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार के रूप में अंकन है रियासतकाल से ही उक्त भूमि पर काबिल काश्त है। प्रार्थी ने अंकित किया कि जलथमण भराव क्षेत्र में स्थित होने से खातेदारी निरस्त की जावे। अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी तालाबी क्षेत्र से 01 किलोमीटर पहले आबादी से सटीक है। भूमि की किस्म गैर.मु. चाह अर्थात् कुआं होने से एवं शेष भूमि की किस्म बंजर अव्वल है। राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाण सिद्ध होता है कि भूमि तालाबी नहीं है। स्वयं प्रार्थी द्वारा कुछ भू–माफियाओ द्वारा अप्रार्थीगण की शिकायत पर धारा 90 ए के तहत दिनांक 27.12.2013 को निर्णय किया कि प्रार्थी भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

की सुधार हेतु मिट्टी डलवाई है एवं अधिक अन्न उत्पादन हेतु कृत्य किया जा रहा है। इसमें भी भूमि तालाब में या तालाबी नहीं अंकित है। जबकि अप्रार्थीगण की भूमि बंजर है जिसके उपजाऊ के लिए मिट्टी अच्छी किस्म की मिट्टी डाली गई है एवं वर्षा काल का पानी इकट्ठा न हो इस प्रकार सुधार किया गया है। भूमि विधि विरूद्व नहीं है। प्रार्थी ने रेफरेन्स में यह अंकित नहीं किया कि अप्रार्थीगण की भूमि तालाब में स्थित है या किस्म तालाबी है या तालाब से कितनी दूर है केवल मात्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेश का अंकन किया जब कि उक्त आराजी में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश लागू नहीं होता है। उक्त आदेश में उल्लेख किया गया है कि नाला, नदी, गै.मु. नाला, तालाब, पहाड, हरड़ा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत बाधित क्षेत्र में अलाटमेन्ट/नियमन खातेदारी नहीं दी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय की यह मंशा है जब कि उक्त प्रकरण में किस्म तालाबी नहीं है न ही तालाब परिक्षेत्र में भूमि है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स निरस्तनीय है। अतः वर्णित आराजी जल मग्न क्षेत्र में नहीं है। उक्त आराजी के आस पास आबादी बसी हुई है एवं 60–65 वर्षो से अधिकार अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। काश्तकारी अधिनियम पूर्व से ही अप्रार्थीगण के पूर्व खातेदार काबिज काश्त है। वर्तमान में उक्त भूमि पर काश्त निरन्तर है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई विधि की प्रतिकूलता नहीं की है। उक्त भूमि की किस्म बारानी अव्वल है। रेफरेन्स निरस्त फरमावे ।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन अनुसार हाल ग्राम किशनगढ के आराजी खसरा नम्बर 1784 रकबा 0–2–00 व 1785 रकबा 8–19–00 बीघा किस्म चाही 1 4–14.00 बंजर 1 2.00. 08 चाही ए 1–17, जो वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगणो की खातेदारी में अंकित है। मौके पर भूमि जल थमन तालाब भराव क्षेत्र में स्थित होने से डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में खातेदारी निरस्त कर राज्य सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। मौका रिपोर्ट पटवारी व भू.अ. नि. किशनगढ के अनुसार उक्त खसरा भूमि खसरा नम्बर 1785 रकबा 0–02–00 व 1785 रकबा 8–19–00 जल थमन तालाब किशनगढ के भराव क्षेत्र में स्थित है, खातेदार द्वारा भराव क्षेत्र में उक्त आराजी में मिटी डाल कर भराई करना अंकित किया गया है। जिससे शहर के महत्वपूर्ण तालाब का भराव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। अतः अप्रार्थीगणो के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1784 रकबा 0–02–00 व 1785 रकबा 8–19–00 में अप्रार्थीगणो द्वारा तालाब के भराव क्षेत्र में मिट्टी भरने से भराव क्षेत्र प्रभावित होने से उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रस्तुत किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर